रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052026-272514
CG-DL-E-13052026-272514

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2026/वैशाख 21, 1948
No. 134]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2026/VAISAKHA 21, 1948

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 मई, 2026

फा. सं. ए-50013/354/2024-ई-III.— पूर्ववर्ती सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय के दिनांक 18 अप्रैल, 1972 के संकल्प संख्या एफसी-47(2)/72 जिसके अंतर्गत गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था (जिसे इसके उपरांत उक्त संकल्प कहा गया है), के क्रम में, केंद्र सरकार उक्त संकल्प में एतद्द्वारा और संशोधन करती है, अर्थात्:

2. उक्त संकल्प में,

(i) अनुच्छेद 2 में, क्रम सं. 20 के सामने, 'अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग' शब्दों को, 'अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग सह सदस्य (बाढ़)' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) अनुच्छेद 2 के उपरांत, निम्नलिखित अनुच्छेद को सम्मिलित किया जाएगा, नामतः

"2.1 गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने अनिवार्य कार्यों के प्रभावी निर्वहन और निष्पादन के लिए आवश्यक अंतराल पर बैठक कराई जाएगीः

बशर्ते कि बोर्ड द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार बैठक कराई जाए।"

कर्ण सिंह, संयुक्त सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों तथा वित्त, रेल, कृषि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के राष्ट्रपति के सचिव और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सूचना हेतु भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे इसे राज्य राजपत्र में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित करें।

कर्ण सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी- यह संकल्प संख्या एफसी-47 (2)/72, दिनांक 18 अप्रैल, 1972 भारत के राजपत्र, भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित हुआ और अंतिम बार संकल्प संख्या ए-50013/354/2024-ई-III, दिनांक 10 दिसंबर, 2024 के माध्यम से संशोधित किया गया।

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th May, 2026

F. No. A-50013/354/2024-E-III.— In continuation of the erstwhile Ministry of Irrigation and Power's Resolution No. FC-47(2)/72, dated the 18th April, 1972 constituting the Ganga Flood Control Board (hereinafter referred to as the said resolution), the Central Government hereby makes the further amendments in the said resolution, namely: -

2. In the said resolution,

(i) in paragraph 2, against serial number 20, for the words "Chairman, Ganga Flood Control Commission", the words "Chairman, Ganga Flood Control Commission cum Member (Floods)" shall be substituted;

(ii) after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:

"2.1 The Ganga Flood Control Board shall meet at such intervals as may be necessary for the effective discharge and execution of its mandatory functions:

provided that the Board shall meet at least once in every calendar year.".

KARAN SINGH, Jt. Secy.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Governments of Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Madhya Pradesh, Delhi, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, Rajasthan, Himachal Pradesh and to the Union Ministries of Finance, Railways, Agriculture, Road Transport and Highways, Niti Aayog, Prime Minister's Office, Secretary to the President of India and Comptroller and Auditor General of India for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette on India and State Governments of Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Madhya Pradesh, Delhi, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, Rajasthan and Himachal Pradesh be requested to publish it in the State Gazette for general information.

KARAN SINGH, Jt. Secy.

Note. The Resolution No. FC-47(2)/72, dated the 18th April, 1972 was published in the Gazette of India, Part 1, Section 1, and last amended vide resolution No. A-50013/354/2024-E-III, dated the 10th December, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA